पत्र संख्या–18/जि0पु0–05–02/2017 सा0प्र0 1287

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषकः

अंजनी कुमार सिंह
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी आरक्षी अधीक्षक

पटना/दिनांक– 3 फरवरी, 2017

विषयः– **विभिन्न प्रखंड/अंचल/थाना के प्रशासनिक सीमाओं में साम्यता एवं राजस्व/पुलिस जिलों की वर्तमान सीमाओं में सीमा संशोधन प्रस्ताव भेजने के संबंध में ।**

महाशय,

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विगत दिनों विभिन्न जिलों की निश्चय यात्रा के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि कई जिलों में प्रखंड/अंचल/पुलिस थाना की सीमाओं में एकरूपता नहीं है जिसकी वजह से जनसाधारण को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग–अलग जगह जाना पड़ता है। इसके साथ ही, कुछ जिलों के पुलिस जिला तथा राजस्व जिलों की सीमाओं में भी समानता नहीं है। भौगोलिक कारणों से कुछ जिलों की सीमाएँ नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित हैं उदाहरणतः सारण (छपरा) जिला का कुछ क्षेत्र गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर अवस्थित है। इन कारणों से आमजनों को जिला मुख्यालय में सरकारी कार्यों से आने–जाने में कठिनाइयाँ तो होती ही है, प्रशासनिक कार्यों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक है कि प्रखंड अंचल और थाना का क्षेत्राधिकार एक समान किया जाय और साथ ही, भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्व एवं पुलिस जिलों में आवश्यक अनुरूप सीमाओं में परिवर्तन किया जाय। अतः यदि उपर्युक्त प्रकार की स्थिति आपके जिलों से संबंधित हैं, तो जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक सम्मिलित रूप से बैठक कर जिलों के भीतर प्रखंड/अंचल एवं थाना की सीमाओं में सुधार और निकट के जिलों के साथ जिलों की सीमाओं में सुधार हेतु आवश्यक प्रस्ताव/अनुशंसा तैयार कर उसे प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को एक पक्ष के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक–18/जि0पु0–05–02/2017 सा0प्र0 1287/पटना–15, दिनांक– 3 फरवरी, 2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य सचिव